"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2005—भाद्र 15, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2005/1/एक.—छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 9 के साथ पठित धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(पांच) परन्तु मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव हवाई यात्रा में एक अनुरक्षक के साथ प्रति वित्तीय वर्ष में पांच बार आने-जाने के हकदार होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 3-6/2005/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम-1972 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th September 2005

NOTIFICATION

No. F 3-6/2005/1/One.—In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 9 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) the State Government, hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Mantri (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1972, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

After Clause (iv) of Sub Rule (1) of Rule 10 the following Clause shall be inserted, namely :—

(v) "Provided that Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary shall be entitled to travel Five times in each financial year to and fro by air with one escort."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. MINJ, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.